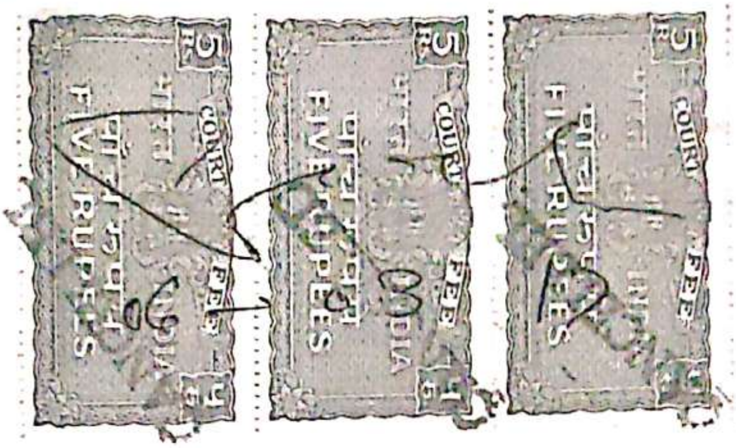

300/1500

নকল [illegible] 6·3।) [illegible]
[illegible] T2011436520 1603 [illegible]
[illegible] 2006 [illegible]
[illegible]
6·3।)

[illegible]

नक्ल प्रतिलिपि ...

न्यायालय उपजिलाधिकारी शाहगंज जौनपुर

मु0न0टी 201714365801683धारा 80 उ0प्र0रा0सं0

मौजा इमामपुर परगना अगुली तहसील शाहगंज

ईशान सेवा ट्रस्ट बनाम गांवसभा

ईशान सेवा ट्रस्ट जरिये प्रबन्धक (मुख्य न्यासी) श्रीमती शशि यादव पत्नी अशोक कुमार यादव निवासी ग्राम शेखपुर सुतौली परगना अंगुली तहसील शाहगंज द्वारा धारा 80उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्तर्गत इस कथन के साथ प्रार्थना दिया कि आराजी मौजा इमामपुर के आराजी संख्या 123/101, 127क/1.680, 140/0.628 व 165/0.142 हे0 हम प्रार्थिनी आराजी नम्बरी जैल के मलिक सह संक्रमणीय भूमिघर है। आराजी निजाई का मुसल्लम अंश गैर कृषि प्रयोजन भूमि है सम्पूर्ण भूभाग पर कृषि कार्य नही होता है। आराजी निजाई पर मे विद्यायल बाउन्ड्री व खेल का मैदान है कोई भी रकबा खाली नही है। कृषि कार्य नही होता हैं अन्य कथन कहते हुए अकृषिक करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया है।

पत्रावली जांच के लिए तहसीलदार शाहगंज के पास भेजी गयी तहसीलदार शाहगंज द्वारा जांच करके जांच आख्या मय पत्रावली प्राप्त करायी गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार शाहगंज की जांच आख्या दि0 05.03.1917 का अवलोकन किया। तहसीलदार शाहगंज की जांच आख्या के अवलोकन से विदित होता है कि आराजी मौजा इमामपुर के आराजी संख्या 123/101, 127क/1.680, 140/0.628 व 165/0.142 हे0 कुल 4 गाटा 2.551हे0 मे से 2.345हे0 भूमि ईशान सेवा ट्रस्ट जरिये प्रबन्धक (मुख्य न्यासी) श्रीमती शशि यादव पत्नी अशोक कुमार यादव निवासी ग्राम शेखपुर सुतौली परगना अंगुली तहसील शाहगंज के नाम संकमणीय आराजी है। प्रार्थिनी के नाम की उक्त भूखण्ड के 2.345हे0 क्षेत्रफल पर ईशान सेवा ट्रस्ट की इमारत बनी हुई है। जिसको अकृषिक किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी जो अकृषिक किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा ईमामपुर परगना अंगुली तहसील शाहगंज के आ0सं0 123/101, 127क/1.680, 140/0.628 व 165/0.142 हे0 कुल 4 गाटा 2.551हे0 मे से 2.345हे0 अकृषक घोषित किया जाता है। तदुनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दखिल दफ्तर हो।

06.3-17

उपजिलाधिकारी SDM

शाहगंज

13/6-317

15.00

6-317

6-317